Rao Tularam Memorial Hospital, Delhi

सत्यमेव जयते

राव तुला राम स्मारक अस्पताल

इस अस्पताल में उपलब्ध सारी सुविधायें मुफ्त हैं जैसे-जाँच प्रक्रिया, दवाईयाँ, शल्य-चिकित्सा पार्किंग आदि।

राव तुला राम स्मारक अस्पताल

दिल्ली सरकार

जाफरपुर, नई दिल्ली-110073

फोन नं. - 011-20895186/20895171

ई-मेल : msrtrmh@gmail.com,
ms-rtrmh@delhi.gov.in

वेबसाईट :
https//rtrhm.delhi.gov.in

उद्देश्य :-

रा.तु:रा.स्मा. अस्पताल वर्तमान में सौ (100) बिस्तरे वाला सामान्य अस्पताल (जनरल अस्पताल) है, जिसमें बर्हिरोगी (OPD), अंतरोंगी (IPD), आकस्मिक विभाग एवं शल्य चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले में नजफगढ़ से ढांसा बार्डर की तरफ लगभग सात किलोमीटर दूर जाफरपुर गांव में स्थित है। आयुष (Ayush) विभाग के तहत आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक - एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की सुविधाएँ एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉट्स (Dots) केन्द्र एवं अन्य कार्यक्रम की सुविधा भी इस अस्पताल परिसर में उपलब्ध है।

[illegible]

1. यह अस्पताल दिव्यांगजन के प्रति अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करता है।
2. जगह-जगह दिशा-निर्देश एवं जानकारी देने हेतु सूचनापट्ट लगाये गये हैं।
3. व्हील चेयर एवं ट्रोंली की सुविधा आकस्मिक विभाग एवं बर्हिरोगी विभाग में उपलब्ध है।
4 वार्ड एवं ऑपरेशन थियेटर में पहुँचने के लिए 'लिफ्ट' की सुविधा उपलब्ध है।
5. अबाध्य विद्युत उपलब्धता के लिए जनरेटर एवं बैटरी बैंक की सुविधा उपलब्ध है।
6. इस अस्पताल में जगह-जगह जन-सुविधा एवं शीतल पेय जल की सुविधा उपलब्ध है।
7. भर्ती मरीजों के तीमारदारों हेतु उचित प्रतीक्षालय की व्यवस्था है।

पंजीकरण :-

1. यह सुविधा सामान्य बर्हिरंग विभाग (OPD) के मुख्य द्वार पर स्थित है।
2. महिला, पुरूष तथा विशेष श्रेणी (वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, कार्ड लाभार्थी एवं अस्पताल कर्मचारी) के लिए अलग-अलग खिड़कियाँ उपलब्ध है।
3. महिला एवं प्रसूति-रोग विभाग का पंजीकरण उसी विभाग के ओ.पी.डी. में स्थित है।
4. आपातकाल विभाग का पंजीकरण कक्ष आपातकाल विभाग के मुख्य द्वार पर स्थित है।
5, मरीजों के भर्ती की पर्ची आपातकाल विभाग के पंजीकरण कक्ष में बनती है।

प्रशासनिक शाखा:-

यह भूतल पर अवस्थित हैं यहाँ M.S HOO ,DMS, प्रशासनिक पदाधिकारी बैठते हैं कमरा संख्या 72 में शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा कमरा संख्या 78 में MRD पदाधिकारी बैठते हैं (जहाँ जन्म प्रमाण पत्र) बगैर के लिए संम्पर्क किया जा सकता है।

दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाऐं:-

1. यह सुविधा 24X 7 उपलब्ध है।

2. न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार यौन शोषण व घरेलु हिंसा के पीड़ित मरीजों की गोपनीय एवं गरिमामयी जाँच के लिए अलग से 'वन स्टॉप सेन्टर' की सुविधा 24X 7 उपलब्ध है।

3. दुर्घटना एवं आपातकालीन विभाग (Accidents & Emergency Deptt) कैंजुएल्टी चिकित्सा पदाधिकारी (CMO) की देख-रेख में विभिन्न विभागों के सीनियर रेजीडेन्टस एवं जूनियर रेजीडेन्टस डॉक्टर एवंनर्सिंग पदाधिकारी पारा-चिकित्सा कर्मचारियों की सहायता से चलता है। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया जा सकता है।

4. जो चिकित्सीय सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है उनसे संबन्धित मरीजों को CATS/ सरकारी Ambulance के द्वारा अन्य उच्चतर अस्पतालों में रेफर किया जाता है।

5. इस विभाग में मरीजों के लिए कुल 10 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है।

6. विशेषज्ञ की सुविधा 'ऑन कॉल' उपलब्ध है।

प्रसूति कक्ष (लेबर रूम) व स्त्री रोग आकस्मिक विभाग :-

1. यह 24X7 कार्यरत है। यह अंतरंग विभाग(IPD) के पहली मंजिल पर वार्ड-1 में स्थित है।

2. स्त्री रोग एवं प्रसूति के आपातकालीन मरीजों को सामान्य आकस्मिक विभाग एवं स्त्री रोग के वर्हिरंग (OPD) विभाग द्वारा भर्ती किया जाता है।

3. सीजेरियन (L.S.C.S.) की सुविधा वर्तमान में सुबह 9.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक उपलब्ध है। यह डॉक्टरों की उपलब्धता के अनुसार कभी भी बदला जा सकता है।

पोस्ट-मॉर्टन विभाग :-

पुलिस विभाग के जांच-अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर पोस्ट-मार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

पोस्ट-मार्टम परीक्षण का पंजीकरण :-

सोमवार से शुक्रवार	अपराह्न 3 बजे तक
शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश के दिन	दोपहर 12 बजे तक

नोटः पोस्ट-मार्टम परीक्षण के लिए पंजीकरण 'सम्पूर्ण जाँच दस्तावेज' (Complete Inquest Paper) के प्राप्ति के उपरान्त ही की जायेगी।

पोस्ट-मार्टम करने की समय-सारिणी :-

कार्यकाल:-

सोमवार से शुक्रवार	सुबह 9 बजे से शाम4 बजे तक
शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश के दिन	सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

बर्हिरंग सेवाऐं :- (ओ.पी.डी. सेवाऐं):-

यह सेवाएँ रविवार एवं अन्य सरकारी अवकाश के दिन बंद रहती है।

पंजीकरण का समय :-

सोमवार से शुक्रवार	सुबह 7.30 से दोपहर 12 बजे तक
शनिवार	सुबह 7.30 से सुबह 11 बजे तक

स्थितः- ओ.पी.डी. ब्लॉक बर्हिरंग विभाग के मुख्य दरवाजे के पास है।

ओ.पी.डी. का समयः

सोमवार से शुक्रवार	सुबह 8.00 से दोपहर 2 बजे तक
शनिवार	सुबह 8.00 से सुबह 1 बजे तक

ओ.पी.डी. कमरा संख्या और विभाग के नामः-

क्र. सं	ओ.पी.डी.	कमरा संख्या	फोन नं. विस्तार सं.	दिन	ऑपरेशन का दिन
1	नेत्र विभाग	1	201	रोजाना	बुधवार सोमवार
2	दंत विभाग	15 बी 2 [3]	202	रोजाना	रोजाना
3	मेडिसिन विभाग	4, 14 20	204, 205 214	रोजाना	
4	चेस्ट क्लिनिक	5 [6]	260	रोजाना	
5	शल्य विभाग	8,10	208 210	रोजाना	वीरवार मंगलवार
6	त्वचा विभाग	11	211	रोजाना	
7	कान, नाक गला विभाग	16 [17]	216 [217]	रोजाना	सोमवार वीरवार
8	शिशु विभाग	18 19	218 219	रोजाना	
9	हड्डी विभाग	92	120	रोजाना	मंगलवार शुक्रवार
10	स्त्री विभाग	ओ. पी. डी ब्लॉक	707 708	रोजाना	सोमवार शुक्रवार
11	बेहोशी की जाँच	पीएसी रूम मुख्य शल्य कक्ष प्रथम तल	605	रोजाना	बुधवार शनिवार
12	इंजेक्शन एंव इम्युनाईजेशन	23			
13	MRD	50/A			
14	डायटिशियन	21			

स्पेशल क्लिनिकः-

क्र. सं	ओ.पी.डी.	कमरा संख्या	फोन नं. विस्तार सं.	ओ.पी.डी. का दिन
1	सीनियर सिटीजन क्लिनिक (पंजीकरण एवं ओ.पी.डी. सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक	4,	204, 205, 214	रविवार
2	पंजीकरण दोपहर 1 से 2 बजे तक ओ.पी.डी. दोपहर 2 से 3 बजे तक [NCD]	14, 20,	204, 205, 217, 221 [220]	सोमवार से शुक्रवार (1 pm to 3 pm)
3	टी.बी. / चेस्ट क्लिनिक	6	260	रोजाना
4	ईनफर्टिलिटी क्लिनिक	69/C [202, 208]	702 [207]	बुधवार
5	प्रसूति के बाद जाँच , (PNC)	69/A [202, 208]	707	शनिवार

अन्य सुविधाऐंः-

क्र. सं	सुविधाऐं	कमरा संख्या	फोन नं. विस्तार सं.	दिन
1	फैमिली प्लानिंग	69/A [202, 208]	[207] 707	रोजाना
2	टीकाकरण	23	223	रोजाना
3	एस.टी.आई. आर.टी.आई. क्लिनिक	11	211	रोजाना
4	आई.वाई.सी.एफ.	24 बी	-	रोजाना
5	आई.सी.टी.सी. (एड्स परामर्श एवं जाँच)	34/C	710	रोजाना
6	फिजियोथैरेपी एवं एक्यूपेशनल थैरेपी	41 41/G	305 206	रोजाना
7	मेडिकल जाँच	24	125	रोजाना
8	दिव्यांग प्रमाण-पत्र	24	125	रोजाना
9	खून-संग्रह केन्द्र	33/A	553	रोजाना
10	सी.एस.एस.डी.	भूतल	405	रोजाना
11	डॉटस	6	260	रोजाना

औषधालयः-

इस अस्पताल की अपनी आवश्यक औषधि सूची (Essential Drug List) उपलब्ध है जो कि दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर आधारित है। इसके अन्तर्गत आने वाली समस्त औषधियाँ इस अस्पताल में मुफ्त वितरण एवं प्रयोग हेतु उपलब्ध है। इसकी शत प्रतिशत उपलबधता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। अस्पताल की नीति अनुसार सामान्यतः औषधियाँ पाँच दिनों के लिए दी जाती है। विशेष क्लिनिक की दवाईयाँ 30 दिनों के लिए दी जाती है।

औषधि वितरण का समयः-

सोमवार से शुक्रवार	सुबह 8 से शाम 4 बजे तक
लन्च ब्रेक	1 बजे से 1.30 बजे तक
शनिवार	सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक
रविवार	सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक (केवल वरिष्ट नगरिको के लिए)

प्रयोगशाला एवं नैदानिक सेवाएँः-

क्र. सं	सेवाएँ	कमरा संख्या	फोन नं. विस्तार सं.
1	प्रयोगशाला	33 से 35	551, 553, 554
2	एक्स-रे एवं अलट्रसाउंड	30	502
3	ई.सी.जी.	31	504

OPD नमूना संग्रह का समयः-

नोटः खून जाँच का नमूना रा.तु.रा. अस्पताल के चिकित्सक की सलाह पर लैब विभाग में स्थित केन्द्रीकृत संग्रह केन्द्र (रूम नं. 33/A)पर लिया जाता है।

सोमवार से शुक्रवार	सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
शनिवार	सुबह 8 से 11:00 बजे तक
वर्तमान में सायं4 बजे से सायं 6 बजे प्रतिदिन और रविवार एवं अवकाश के दिन सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।	

X-Ray की सुविधा

पंजीकरण का समयः सोमवार से शुक्रवार
सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
शनिवार सुबह 8:00 से सुबह 11:00 बजे तक

नोटः-

X-Ray की सुविधा वर्तमान मे सोमवार से शुक्रवार को सायं 4:00 से रात्रि 8:00 बजे तक उपलब्ध नही है।
शनिवार को दोपहर 1:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक उपलब्ध नही है
रविवार को सुबह 8:00 से रात्रि 8:00 बजे तक उपलब्ध नही है

अनुपलब्ध सुविधाएँः-

निम्नलिखित सुविधाएँ इस अस्पताल में उपलब्ध नहीं है:

1. कार्डियोलोजी
2. नेफ्रोलॉजी, डायलेसिस
3. सी.टी. स्कैन/एम.आर.आई. ईको/पी.फ.ओ./आई.सी.यू.
4. न्यूरो सर्जरी
5. पेरीमेटरी
6. मनोचिकित्सा
7. आई.सी.सी.यू.
8. कैंसर विभाग
9. लेजर प्रक्रियाएँ
10. पुनः रचना शल्य चिकित्सा
11. तंत्रिक विभाग
12. बर्न प्लास्टिक सर्जरी
13. यूरोलॉजी
14. गैस्ट्रो शल्य विभाग
15. गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी
16. विट्रियो रेटिनल सर्जरी

अंतरंगी (IPD) सुविधाएँ :-

ईन डोर रोगियो को छुट्टी के समय दवाईयाँ उनके ही वार्ड में नर्सिंग अफसर द्वारा दी जाती है।

क्र. सं	विभाग	स्थित	पुरुष	महिला
1	प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग	प्रथम तल वार्ड 1 व 2	-	25-25
2	शिशु विभाग	प्रथम तल	-	-
3	मैडिसीन विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV
4	शल्य विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV
5	हड्डी विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV
6	नेत्र विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV
6	कान, नाक, गला विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV

गुणवत्ता नीतिः-

उद्देश्यः-

- समाज के सभी लोगो एवं मरीजो का अनुकूल वातावरण में नैतिक एवं गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा मरीजों से फीडबैक के विश्लेषण के आधार पर लगातार सुधार करना।
- आधुनिक चिकित्सकीय प्रणाली के अपनाना और अन्य गुणवत्तपूर्ण सेवा प्रदान करना।
- हमारे अस्पताल में किसी भी मरीज के साथ जाति,धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधर पर कोई भेद-भाव नही किया जाता है।

सहायता क्षेत्रः-

(1) सहायता क्षेत्र पंजीकरण क्षेत्र के बगल में कमरा संख्या 25 में स्थित है।

(2) इसके अलावा मरीज कल्याण अधिकारी से कमरा संख्या 25 के (ओ.पी.डी. ब्लॉक) सम्पर्क किया जा सकता है।

नोटः वर्तमान में X-Ray की सुविधा शाम 7 बजे से 8 बजे तक और शनिवार, रविवार को दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक बंद रहता है।

(4) लैब की सुविधा आकस्मिक एवं अंतरंग विभाग (IPD) के लिए 24 घंटे उपलब्ध होती है

औसतन अपेक्षित समय चक्र (मरीजों की संख्या पर आधारित)

पंजीकरण - 30 मिनट

ओ.पी.डी. - 20-25 मिनट

दवा - 20-25 मिनट

लैब संग्राहलय - 20-25 मिनट

मरीजों के अधिकार एवं कर्त्तव्यः-

अधिकारः-

1. चिकित्सकीय ईलाज की विस्तृत जानकारी।
2. बिमारी की स्पष्ट जानकारी लेने का अधिकार।
3. किसी चिकित्सकीय सलाह, जॉच एवं ईलाज को मना करने का अधिकार और ऐसा करने से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
4. गोपनीयता और सम्मान तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के मानने का अधिकार।
5. गोपनीयता।
6. शिकायत एवं सुक्षाव देने का अधिकार।

[illegible]यः

1. चिकित्सक को अपनी तकलीफ, पुरानी बीमारी, एलर्जी एवं अन्य सम्बन्धित जानकारियाँ देना व पुराने मेडिकल रिकार्ड दिखाना।
2. औषधि एवं ईलाज का निर्देशानुसार पालन करना।
3. दूसरे मरीजों के अधिकारों का ध्यान रखना।
4. अस्पताल के नियमों का पालन करना।
5. दिए हुए समय पर वापिस चिकित्सक को दिखाना।
6. असत्य जानकारी नहीं देना और प्रमाण-पत्र की मांग नही करना।
7. अस्पताल को स्वच्छ रखना एवं कूड़ेदान का समुचित उपयोग करना।
8. शौचालय को साफ रखना।
9. अस्पताल परिसर में सिगरेट ना पीना और यहाँ वहाँ ना थूकना।
10. अपनी बारी का शान्तिपूर्वक इन्तजार करना एवं शांति बनाए रखना।
11. वातावरण को स्वच्छ रखने में अस्तलात प्रशासन का सहयोग करना।
12. बच्चों को अनावश्यक रूप से साथ ना लाना।

नोटः झूटी एवं अपूर्ण जानकारी देने के दुष्परिणामों के लिए मरीज स्वयं उत्तरदायी होगा।

शिकायत निवारण एवं सुझावः-

इस अस्पताल में जगह-जगह शिकायत एवं सुक्षाव पेटिका रखे गये हैं। साथ ही शिकायत निवारण पदाधिकारी (G.R.O.) के नाम एवं बैठने के स्थान की सूचना विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित है। किसी शिकायत के दौरान आप उस क्षेत्र के प्रभारी नर्सिंग अधिकारी या अस्पताल के उप चिकित्सा अधिक्षक (यम) से संपर्क कर सकते है।